# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर०ए०एस

मुकदमा नं0 128 / 2022

सौराब पुत्र रहमत जाति मेव निवासी ग्राम डाठेट तहसील पहाडी जिला भरतपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. अब्दुल करीम उर्फ कल्लू
2. उमर फारूक
3. उमर मौहम्मद
4. हनीफ पिसरान अब्दुल करीम जाति मेव निवासी ग्राम डाठेट तहसील पहाडी जिला भरतपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी० एक्ट

1. श्री यशपाल सैनी वकील प्रार्थी
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 14 / 09 / 2023

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर०टी० एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 512 / 0.18 हैक्टर वांके ग्राम डाठेट तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया प्रार्थी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है । जो अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है अप्रार्थीगण का आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण झगडालू प्रवृत्ति है जो अपनी आराजी की आड में प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करते रहते है आये दिन प्रार्थी की आराजी की डौल मेडों को तोडते रहते है तथा लठ्ठ व ताकत के बल पर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी मुतदाविया प्रार्थी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है जिसकी बाबत दिनांक 26/03/2022 को अप्रार्थीगण ने स्पष्ट शब्दों में ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाव हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव नहीं हो सकेगी। प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का सन्तुलन व अपरमित क्षति मुझ प्रार्थी के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि कब्जे काश्त प्रार्थी में मजाहमत व मदाखलत ना करे एवं आराजी की डौल मेडों को तोडकर कब्जा नाजायज ना करे एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आराजी मुतदाविया के संबंध में पेश किया है वह हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है हम अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतदाविया पर किसी भी प्रकार का कब्जा नाजायज नहीं है तथा ना ही हमारा आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का लेना देना है एवं आराजी मुतदाविया से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं है ना ही आराजी की डौल मेडों को तोडा है बल्कि प्रार्थी आराजी मुतदाविया की आड में रास्ते को तोडकर अपनी आराजी में मिला रहा है जो प्रार्थी की आराजी के सटमा लगता हुआ है। विधि वजह प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित आराजी से हम अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है और ना ही हमने प्रार्थी की आराजी मुतदाविया की डौल मेडों को तोडा है बल्कि प्रार्थी आराजी मुतदाविया की आड में रास्ते को तोडकर अपनी आराजी में मिला रहा है जो प्रार्थी की आराजी के सटमा लगता हुआ है। ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन :–** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित आराजी से हम अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है और ना ही हमने प्रार्थी की आराजी मुतदाविया की डौल मेडों को तोडा है बल्कि प्रार्थी आराजी मुतदाविया की आड में रास्ते को तोडकर अपनी आराजी में मिला रहा है जो प्रार्थी की आराजी के सटमा लगता हुआ है। प्रार्थी के हक हकूक मूल दावे में ही निर्णित होगे। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है ।

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगन को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः आज्ञा है कि :–**

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी टी0आई0 दिनांक 30/06/2022 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner